पर्व | आज ग्रहण,कल मनेगी धुरेड़ी

बेलखाडू चौराहे में युवाओं ने किया होलिका दहन

नवभारत ,बेलखाडू (जबलपुर)। होलिका दहन को अच्छाई की जीत का उत्सव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ में एक ऐसी कथा है जहां सत्ता, शक्ति और अहंकार (होलिका) के सामने एक बच्चे (प्रहलाद) की भक्ति खड़ी हो जाती है। इन्हीं प्राचीन मान्यताओं का निर्वहन आज भी जारी है। बेलखाडू के युवाओं ने चंदा एकत्रित कर सार्वजनिक रूप से चौराहे पर होलिका प्रहलाद की प्रतिमा स्थापित की। रात्रि 11 बजे स्थानीय नागरिकों की उपस्थित में होलिका दहन हेतु अग्नि समर्पित की और प्रतीकात्मक रूप से तेज आग की लपटों के बीच से प्रहलाद को बाहर निकाल लिया। सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर रजनीश नगाइच, अरविंद साहू, आनंद शिवहरे, रवि पटेल, दिनेश साहू, पप्पू साहू,गोलू ठाकुर, रोहित मेहरा, मुकेश पटेल, विक्की साहू, बहादुर सिंह,कपिल प्रधान, दीपक प्रधान, सहित अनेकों ग्रामवासी उपस्थित रहे।

आज मंगलवार को ग्रहण होने के कारण बुधवार को धुरेड़ी रहेगी। इस दिन ग्रामवासी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर उत्साह से त्यौहार मनाते हैं।

पुलिस प्रशासन की अपील

पुलिस चौकी बेलखाडू प्रभारी एसआई राजेश धुर्वे ने ग्रामीणों से अपील करते हुए बताया कि डीजे साउंड सिस्टम की अनुमति नहीं है, शराबखोरी व हुड़दंग ना करें, शांति, भाईचारे, उमंग से रंगो के त्यौहार को मनाते हुए आदर्श नागरिक का परिचय दें। त्यौहार को देखते हुए पुलिस बल राउंड पर रहेगा।

गांव में सार्वजनिक दहन कार्यक्रम

बेलखाडू चौराहे के अलावा साहू मोहल्ला,सूरतलाई, बघोंडा, मोहास, बिलखरवा, झगरा, भर्रा, पडरिया, नुनसर, बरोदा, बोरिया, निरंदपुर जैसे अन्य गांव में सार्वजनिक रूप से ग्रामवासी एकत्रित होकर रात्रि में स्थापित होलिका प्रतिमाओं का दहन किया ।

1 अप्रैल से एलपीजी वाहनों में नहीं जाएंगे बच्चे स्कूल

कलेक्टर ने जारी किया आदेश नियम तोड़ने पर होगी कार्यवाही

नवभारत,जबलपुर। विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने आदेश जारी कर जिले में एक अप्रैल के से एलपीजी से चलने वाले वाहनों से स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन को प्रतिबंधित कर दिया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एक अप्रैल के बाद यदि कहीं एलपीजी से संचालित वाहनों से स्कूली बच्चों का परिवहन पाया जाता है तो उसे इस आदेश का उल्लंघन माना जायेगा तथा संबंधित विद्यालय और वाहन स्वामी पर दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिला दंडाधिकारी ने आदेश में सभी स्कूलों के प्रबंधन को प्रतिबंध की निर्धारित तिथि से पूर्व एलपीजी से संचालित वाहनों के स्थान पर वैधानिक रूप से अनुमन्य एवं फिटनेस प्रमाणित वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को स्कूली वाहनों का सत्यापन करने और एलपीजी से संचालित वाहनों पर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये हैं।

पुलिस करेगी विद्यालय में निरीक्षण

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को विद्यालयीन समय के दौरान स्कूली वाहनों का आकस्मिक निरीक्षण करने कहा है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतिबंधात्मक आदेश से सभी स्कूलों को अवगत कराने तथा स्कूलों के प्रबंधन को आदेश का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं।

खुले में बिक रहा बटर जब्त कर कराया नष्ट

शहपुरा में राजस्व विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्यवाही

नवभारत,जबलपुर। मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय पर रोक लगाने के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार सोमवार को कार्यपालिक दंडाधिकारी श्रीमती मौसमी केवट के नेतृत्व में राजस्व एवं खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहपुरा स्थित कान्हा डेरी का आकस्मिक निरीक्षण कर खुले में बेचे जा रहे नामी कंपनी के बटर को जप्त कर विनष्ट कराने की कार्यवाही की। निरीक्षण के दौरान कान्हा डेयरी में डिलीशियस फैट स्प्रेड का बटर पैकेट कवर को निकाल कर विक्रय के लिए संग्रहित करना पाया गया था। संयुक्त दल ने बिना आउटर कवर के बटर के पाँच सौ ग्राम के 17 पीस एवं सौ ग्राम के 11 पीस का मौके पर ही विनष्टीकरण कराया गया। निरीक्षण में कान्हा डेयरी से ही एक्सपायरी डेट के पाये जाने पर सुहाना कसूरी मेथी के 9 पैकेट एवं सुहाना शाही पनीर के 12 पैकेट का भी विनिष्टिकरण कराया गया। संयुक्त टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता भी शामिल थे।

जांच दलों ने किया निरीक्षण

कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने चलाये जा रहे अभियान के तहत सोमवार को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त जांच दलों ने जिले के विभिन्न स्थानों पर मावा परिवहन तथा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान आईएसबीटी, शहपुरा बस स्टैण्ड तथा रेल्वे स्टेशन पर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र की ओर से आने वाली बसों तथा ट्रेनों के पार्सल का निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे के अनुसार तिलवारा स्थित नर्मदा डेयरी से मावा एवं पनीर, यादव कॉलोनी स्थित गुप्ता कैटरर्स से मावा और रजवाड़ी स्वीट्स, त्रिमूर्तिनगर स्थित मावा निर्माण इकाई कपिला डेयरी से मावा और पनीर, गोरखपुर स्थित केसरवानी स्वीट्स से नमकीन एवं पेडा, बीकानेर स्वीट्स से दूध बर्फी और नमकीन, सदर बाजार स्थित प्रेम स्वीट्स से मलाई कतली और नमकीन, राजभोग स्वीट्स से नमकीन और भाखरवडी तथा मालवीय चौक स्थित हीरा स्वीट्स से ड्राई कचौडी के नमूने परीक्षण हेतु लिये गये।

सड़क हादसों में पांच घायल

जबलपुर। शहर व ग्रामीण अंचल में तीन अलग-अलग सड़क हादसों में पांच लोग घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। सिहोरा पुलिस ने बताया कि रामकृपाल भवेदी 30 वर्ष निवासी आगाचौक रानीताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बरगी नहर के पास बाइक क्रमांक एमपी 20 जेड एल 4615 के चालक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी जिससे व एवं विद्या बाई को चोट आ गई। इसी प्रकार मझगवां थाने में रवि चौधरी 36 वर्ष निवासी गुरुनानक वार्ड पनागर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बुलट क्रमांक एमपी 20 एन आर 9412 के चालक ने शुभम विश्वकर्मा की मोटर सायकल में टक्कर मार दिया जिससे शुभम विश्वकर्मा एवं राजेश यादव को चोटे आ गई।

अब ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार

विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम, 2025 की पहल

फोटो 222 सिंगल

नवभारत,जबलपुर। 'विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम, 2025' की यह पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य विकसित ग्राम पंचायत के माध्यम से आत्मनिर्भर और सशक्त ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। उक्त जानकारी जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत ने पत्रकार वार्ता में दी।

उन्होंने बताया कि नए प्रावधानों के तहत अब ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 100 के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि के चरम मौसम, यानी बुआई और कटाई के दौरान 60 दिनों का कार्य-विराम रखा गया है ताकि खेती के लिए श्रमिकों की कमी न हो। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा अधिकतम 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। सीईओ ने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को पारदर्शी, जवाबदेह बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा।

रोजगार सृजन को चार प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ा

अधिनियम के तहत रोजगार सृजन को जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्धन और आपदा प्रबंधन जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ा गया है। इसमें नहर, चेक डैम और तालाब निर्माण, ग्रामीण सड़कें और पंचायत भवन, स्वयं सहायता समूहों के लिए वर्कशेड, भंडारण संरचना, डेयरी अवसंरचना तथा बाढ़ और जंगल आग प्रबंधन जैसे कार्य शामिल किए गए हैं। सभी परिसंपत्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में एकीकृत किया जाएगा।

प्रशासनिक व्यय सीमा 6 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत

उन्होंने बताया कि योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है, जिसमें प्रशासनिक व्यय सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है तथा कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही कराए जाएंगे। ग्राम सभा की मंजूरी से विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत विकेंद्रीकृत योजना निर्माण होगा और डिजिटल उपस्थिति, आधार आधारित भुगतान, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी।

बीएसएफ इंस्पेक्टर के सूने घर में लाखों की चोरी

ताले तोड़कर जेवरात ले उड़े चोर

नवभारत, जबलपुर। सिहोरा थाना अंतर्गत ग्राम ब्राह्मणपुरा में चोरों ने बीएसएफ भिलाई में पदस्थ इंस्पेक्टर के सूने घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने सोने-चांदी के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया।

जानकारी के अनुसार राहुल कुरारिया (36) भिलाई में बीएसएफ निरीक्षक हैं, 27 फरवरी को 6 दिन की छुट्टी लेकर अपनी पत्नी के साथ सिहोरा आए थे। उनकी बहन का इलाज नागपुर में चल रहा था, जिस कारण उनकी माँ भी नागपुर में थीं और बड़े भाई जबलपुर में रहते हैं। घर सूना होने के कारण राहुल अपनी ससुराल ब्राह्मणपुरा में रुक हुए थे। राहुल ने पुलिस को बताया कि 28 फरवरी की शाम करीब 7:30 बजे वह अपने घर का ताला बंद कर चाबी अपनी चाची को देकर ससुराल चले गए थे। बीती रात जब वह वापस लौटे, तो घर का ताला नहीं खुला। संदेह होने पर उन्होंने ताला काटने वाले को बुलाया। घर के अंदर जाने पर देखा कि कमरों के दरवाजे के कुंदे टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने अलमारी और पेटी के ताले तोड़कर उसमें रखे सोने की झुमकी, टॉप्स, हाथ के फूलन, दो छोटे मंगलसूत्र, सोने की चैन, कंगन और चांदी की करधन, गुच्छा, सिक्के व पायल सहित 5 हजार रुपये नगद चोरी कर लिए हैं। पुलिस ने राहुल कुररिया की शिकायत पर अज्ञात चोरों के मामला दर्ज किया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों का सुराग लगाया जा सके।

ट्रेन से कटकर महिला की मौत

जबलपुर। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत रेल पटरी पर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। पुलिस मर्ग कायम कर मृतिका की पहचान करने में जुटी है। जानकारी के अनुसार कछपुरा और भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन के बीच सिलुआ के पास डाउन ट्रैक पर एक अज्ञात महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। घटना की सूचना रेलवे गैंगमैन सुशील रजक (35) द्वारा भेड़ाघाट थाने में दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुँचकर शव को कब्जे में लिया। प्राथमिक जांच में मृतिका की उम्र करीब 50 वर्ष है, हालांकि अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया है और आसपास के क्षेत्रों में महिला की पहचान के लिए जानकारी साझा की जा रही है।

दबंगों ने किसान की 5 लाख की सरसों की फसल पर चलाया ट्रैक्टर

बरगी पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

नवभारत, जबलपुर। बरगी थाना अंतर्गत ग्राम बम्हनी में दबंगों ने एक किसान की पांच लाख की सरसों की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस प्रकरण दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बम्हनी निवासी किसान संतोष जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे अपने मौसेरे भाई बलराम चौकसे की खसरा नंबर 38/1, 38/2, 38/3 (कुल रकवा 2.93 हेक्टेयर) भूमि पर खेती करता हैं। इस भूमि का मुख्त्यारनामा उनके पास है और वे ही इसकी देख-रेख कर रहा हैं। संतोष ने बड़ी लागत लगाकर सरसों की बुवाई की थी, जिसकी फसल अब कटने के लिए तैयार खड़ी थी। आरोपी आकाश पिता गजेन्द्र, राजा पिता राजेन्द्र और कैलाश पिता देवेन्द्र ने एक राय होकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने गांव के ही अभिषेक पटेल से हैरो उधार ली और उसे ट्रैक्टर में फंसाकर संतोष की लहलहाती फसल पर चला दिया। घटना को गांव के श्रीकांत जायसवाल ने अपनी आंखों से देखा है। किसान संतोष जायसवाल का कहना है कि इस हमले से करीब 5 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। पुलिस ने रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर

तलाकशुदा महिला पर पूर्व प्रेमी ने किया हमला

मरणासन्न हालत में छोड़कर भागा, एफआईआर दर्ज

नवभारत, जबलपुर। घमापुर थाना अंतर्गत सरकारी कुआं इलाके में तलाकशुदा महिला को उसके पूर्व प्रेमी ने बेहरमी से पिटाई कर दी। उसे इतना पीटा कि वह बेहोश हो गई। इसके बाद मरणासन्न हालात में आरोपी छोड़कर भाग निकला। बाद में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला एक निजी संस्थान में कार्यरत है और अपनी दो बेटियों के साथ किराए के कमरे में रहती है, पति से 4 साल पहले तलाक हो चुका है। पिछले 2-3 वर्षों से उसकी जान-पहचान शिवम साहू नाम के युवक से थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन साल 2024 में महिला को पता चला कि शिवम ने 6 महीने पहले चोरी-छिपे शादी कर ली है। सच्चाई जानकर महिला ने उससे दूरी बना ली और बातचीत बंद कर दी लेकिन शिवम लगातार महिला पर संपर्क बनाए रखने का दबाव बना रहा था। तंग आकर महिला ने अपना ठिकाना भी बदला, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंच गया। महिला ने इसकी शिकायत आरोपी के परिजनों से भी की थी, पर इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। आरोपी शिवम महिला के नए घर में घुसा और विवाद करने लगा। उसे शक था कि महिला उसकी बातें रिकॉर्ड करती है। जब उसने महिला का फोन छीनने की कोशिश की और महिला ने विरोध किया, तो उसने बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान महिला बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद आरोपी उसे मरणासन्न हालत में छोड़कर भाग निकला। होश में आने पर पीड़िता ने अपनी सहेलियों को जानकारी दी और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। महिला के चेहरे, आंख और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

नवभारत,जबलपुर। रेल प्रशासन ने होली के त्यौहार पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए और उन्हें आरामदायक यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से 9 जोड़ी विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेनें पश्चिम मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशनों जैसे जबलपुर, भोपाल (रानी कमलापति), कोटा और रीवा से देश के विभिन्न कोनों के लिए चलेंगी।

इन रूटों पर मिलेगी सफर की राहत

जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर-01701: 02 और 09 मार्च को जबलपुर से रात 20:20 बजे चलकर अगले दिन 14:25 बजे निजामुद्दीन पहुँचेगी। 01702: 03 और 10 मार्च को निजामुद्दीन से शाम 15:45 बजे चलकर अगले दिन सुबह 09:30 बजे जबलपुर पहुँचेगी।

ठहराव: कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, मथुरा एवं कोसी कला।

जबलपुर-अयोध्या धाम-जबलपुर 01705: 03 और 10 मार्च को जबलपुर से रात 19:40 बजे चलकर अगले दिन 11:25 बजे अयोध्या पहुँचेगी।

01706: 04 और 11 मार्च को अयोध्या से दोपहर 13:30 बजे चलकर अगले दिन 06:45 बजे जबलपुर पहुँचेगी।

ठहराव: सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, वाराणसी एवं जौनपुर।

कोटा-जबलपुर-कोटा-9806: 03 मार्च को कोटा से शाम 18:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 06:55 बजे जबलपुर पहुँचेगी।

09805: 04 मार्च को जबलपुर से सुबह 09:10 बजे प्रस्थान कर रात 22:15 बजे कोटा पहुँचेगी।

ठहराव: अंता, बारां, अटरू, सालपुरा, गुना, अशोकनगर, बीना मालखेड़ी, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा।

रानी कमलापति-दानापुर-रानी कमलापति-01667: 02 मार्च को भोपाल से दोपहर 14:25 बजे चलकर अगले दिन सुबह 08:45 बजे दानापुर पहुँचेगी।

01668: 03 मार्च को दानापुर से सुबह 11:15 बजे चलकर अगले दिन 08:55 बजे भोपाल पहुँचेगी।

ठहराव: नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, सिहोरा, कटनी, सतना, प्रयागराज छिवकी, बक्सर।

बीच सड़क में खड़ा किया पिकअप, लगा जाम

चालक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण

नवभारत,जबलपुर। शहपुरा में साप्ताहिक बाजार के दौरान यातायात जाम हो गया। दरअसल एक पिकअप चालक ने बीच सड़क पर वाहन को खड़ा कर दिया जिसके चलते जाम लग गया था वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। पुलिस ने चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक सोमवार को साप्ताहिक बाजार यातायात व्यवस्था के दौरान दोपहर लगभग 1-30 बजे श्रद्धा स्टोर्स झंडा चौक शहपुरा से वाहन क्रमांक एमपी 20 जीए 5967 का चालक ब्रजेश सिंह ठाकुर 40 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 1 शहपुरा का अपना पिकअप वाहन बीच रोड में खड़ी कर मार्ग अवरूद्ध किया गया था जिससे आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी वाहनों की लम्बी कतार लगी थी वाहन क्रमांक एमपी 20 जीए 5967 का चालक ब्रजेश सिंह ठाकुर से वाहन क्रमांक एमपी 20 जीए 5967 जप्त करते हुये आरोपी के ब्रजेश सिंह ठाकुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।

चलती बस के सामने खड़ा हुआ शराबी, मचाया हंगामा

नवभारत, जबलपुर। खमरिया में चलती बस के सामने एक शराबी आकर अचानक खड़ा हो गया गनीमत रही कि चालक ने तुरंत बस रोक दी जिसके बाद शराबी ने हंगामा मचाते हुए बस में चढ़ गया और शराब पीने के लिए मांगने लगा मना करने पर चालक, कंडेक्टर के साथ अभद्रता कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक सोमवार को भोले शंकर साहू 54 वर्ष निवासी ग्राम सदाफल कुण्डम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह लक्की बस क्रमांक एमपी 20 पी ए 0523 में कंडेक्टरी करता है। सुबह लगभग 7-30 बजे लक्की बस में बुकिंग की सवारी लेकर बरगी से गोरखपुर जा रहे थे बस को रामदास पड़वार चला रहा था सुबह लगभग 9-45 बस जैसे ही खमरिया उमरिया मेन रोड पहुंचे तभी बबलू साहू बस के सामने खड़ा हो गया तो बस चालक रामदास पड़वार ने बस रोक दी, बबलू साहू बस के अंदर चढ़कर उससे शराब पीने के लिये 500 रूपये मांगने लगा, उसने पैसे देने से मना किया तो बबलू साहू उसे एवं रामदास पड़वार के साथ अभद्रता कर दी।

पांच फीट लंबा कोबरा पकड़ा गया

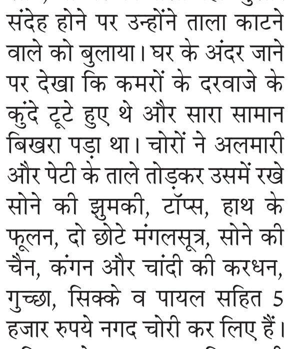

नवभारत, जबलपुर। विजय नगर अंतर्गत स्कीम 41 में घर के पीछे बागीचे में दो दिन से डेरा जमाए पांच फीट लंबा कोबरा को सोमवार शाम पकड़ लिया गया।

जानकारी के मुताबिक स्कीम 41 निवासी राजेंद्र सिंह के घर के पीछे फूल व औषधीय पौधों का बागीचा लगा है। जहां पिछले दो दिनों से एक पांच फीट लंबा कोबरा नाग इधर उधर विचरण करता हुआ कुछ देर बाद ओझल हो जाता था। उसकी भयानक फुंफकार सुनकर परिजन दहशत में थे। आज शाम चार बजे जब कोबरा फन फैलाए बागीचे में बैठा था तभी राजेंद्र सिंह के पुत्र ने सर्प विशेषज्ञ गजेन्द्र दुबे को सूचना दी जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आधा घंटे की मशक्कत के बाद बमुश्किल कोबरा को पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़ दिया। सांप के पकड़े जाने पर सभी ने राहत की सांस ली।

5 मार्च को रहेगा स्थानीय अवकाश

नवभारत, जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह द्वारा कैलेंडर वर्ष 2026 में जबलपुर जिले के लिए घोषित किये गये स्थानीय अवकाशों के अनुसार जबलपुर जिले में पांच मार्च को होली की भाई दूज पर पूरे दिन का स्थानीय अवकाश रहेगा। पांच मार्च का स्थानीय अवकाश कोषालयों एवं उप कोषालयों तथा बैंकों पर प्रभावशील नहीं होगा।

रिकवरी निकालने वाला सीएमएचओ का आदेश निरस्त

याचिकाकर्ता को ब्याज सहित राशि लौटाने के निर्देश

नवभारत, जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने सीएमएचओ सिवनी के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत मलेरिया कर्मी के खिलाफ रिकवरी निकाली गई थी। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने सरकार को छह फीसदी ब्याज के साथ याचिकाकर्ता को राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला सिवनी निवासी चंदुलाल निखारे की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया कि सीएमएचओ द्वारा यह कहते हुए रिकवरी निकाली गई कि याचिकाकर्ता दैनिक वेतनभोगी है, इसलिए उसे दी गई क्रमोन्नति वापस ली जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत कर बताया गया कि उसे 18 मार्च 2011 को नियमित कर दिया गया है। नियमित कर्मचारी से क्रमोन्नति की राशि वापस नहीं ली जा सकती। जिसके बाद न्यायालय ने रिकवरी को अनुचित करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया।

रोके गये वेतन के दावे पर लो उचित निर्णय

मप्र हाईकोर्ट ने जिला पंचायत मंडला के सीईओ को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता का रोका गया वेतन ब्याज सहित भुगतान करें। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी है। एकलपीठ ने कहा है कि यदि आवेदक पात्र है तो उसके अभ्यावेदन पर उचित निर्णय लें। मंडला निवासी ज्ञानी विजय पाल की ओर से यह मामला दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा एवं कंचन मिश्रा पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि बिना कोई कारण बताए याचिकाकर्ता पंचायत सचिव का वेतन रोक दिया गया है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने सीईओ को अभ्यावेदन देकर मांग की थी कि उसे वेतन सहित अन्य लाभ ब्याज सहित अदा करें। कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि यदि याचिकाकर्ता पात्र है तो उसके अभ्यावेदन का निराकरण करें, ताकि इस मुद्दे पर उसे दोबारा न्यायालय न आना पड़े।